राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या 691 / 2013 / श्रीगंगानगर

मैसर्स शिवा इन्जीनियर्स, श्रीगंगानगर .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर ......प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::
श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक। ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अभिभाषक। ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28 / 12 / 2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 106 / आरवेट / सूरतगढ़ / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.05.2012 को अस्वीकार किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी का वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण दिनांक 10.01.2011 को पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध व्यवहारी ने धारा 33 के तहत संशोधन प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसे ईसी नंबर 27 / 36 एवं 2 / 41 से प्राप्त भुगतान पर 3 प्रतिशत की दर से करमुक्ति शुल्क निर्धारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस आदेश में इस आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत संविदा कार्य Building Works होने के कारण इस पर मुक्ति शुल्क दायित्व 1.5 प्रतिशत ही होता है। सशक्त अधिकारी ने इन संविदा कार्यादेशों का अवलोकन करने पर पाया कि इनमें आवंटित किया गया कार्य "Spl repairs of SWTs and Connected Pipe Line Network तथा Prov. of spl repair to roof of one no. of overhead reservoirs & related external services of five nos. of overhead reservoirs" का है। अतः यह कार्य भवन निर्माण से संबंधित नहीं पाये जाने के कारण इस पर 3 प्रतिशत की दर से कर दायित्व

निरन्तर.....................2

निर्धारित मुक्ति शुल्क को उचित पाया तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया।

3. अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा पारित संशोधन आदेश को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलार्थी की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हेतु विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अविधिक बताते हुए कथन किया गया कि राज्य सरकार द्वारा मुक्ति शुल्क के संबंध में जारी की गई अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट की प्रकृति के अनुसार ई.सी. फीस की देयता निर्धारित होती है। व्यवहारी द्वारा किये गये संविदा कार्य उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 2 से संबंधित हैं, जिसके तहत भवन, रोड़, डेम, कैनाल, सीवरेज सिस्टम आदि उल्लेखित है। अतः उन्होंने उन पर आरोपित 3 प्रतिशत ई.सी. फीस को अविधिक बतलाते हुए दोनों अवर अधिकारियों के आदेशों को अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की अपील संख्या 1158 / 2013 / कोटा मैसर्स दामोदर टेक इन्टरनैशनल प्रा0लि0, कोटा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी कोटा निर्णय दिनांक 03.10.2016 उद्धरित करते हुए मुक्ति शुल्क का दायित्व 2.25 प्रतिशत निर्णीत करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा किये गये समस्त कार्य उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या 1 से 3 में कवर नहीं होते है एवं उक्त कार्य बिन्दु संख्या 4 से कवर होने के फलस्वरूप उस पर 3 प्रतिशत की ईसी फीस की देयता बनती है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बतलाते हुए उसकी पुष्टि करने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं उपलब्ध विभागीय रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

7. कर निर्धारण अधिकारी के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि Garrison Engineer, Lalgarh Jattan, District Sriganganagar द्वारा अपीलार्थी को दो संविदा कार्य आवंटित किये गये थे जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

S.No.	Work Order No. & Date	Nature of Work	Amount	E.C. No.
1.	8918/LGJ-69/16/E8 dated 12.03.2008	Prov. of spl repair to roof of one no. of overhead reservoirs & related external services of five nos. of overhead reservoirs	12,46,055/-	27/36 dated 05.07.2008 @ 3%
2.	8918/SGNR-28/19/E8 dated 05.05.2008	Spl repairs of SWTs and Connected Pipe Line Network	35,86,734/-	22/41 dated 23.04.2008 @ 3%

8. प्रस्तुत अपील में विवाद का बिन्दु यह है कि ऊपर उल्लिखित संविदा कार्यों पर अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 (यथासंशोधित) के अंतर्गत देय मुक्ति शुल्क की दर क्या होगी? इस सम्बन्ध में सुलभ संदर्भ हेतु उक्त अधिसूचना की मुक्ति शुल्क दर सम्बन्धी तालिका निम्नानुसार पुनरुल्लिखित की जाती है :–

Item No.	**Description of work contract**	**Rate of exemption fee% of the total value of the contract**
1.	**2.**	**3.**
1.	Works contract where the cost of material does not exceed five percent of the total contract amount.	0.25%
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams canals, sewerage system.	1.50%
3.	Works contracts relating to installation of plants and machinery including pspo. Water treatment plant. Laying of pipe line with material	2.25%
4.	Any other kind of works contract not covered by [item Nos. 1, 2 and 3	3.00%

9 इस सम्बन्ध में गैरीसन इंजीनियर, लालगढ़ जाटान, श्रीगंगानगर द्वारा जारी कार्यादेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम संविदा कार्य ओवरहैड जलाशयों की विशेष मरम्मत एवं सम्बन्धित बाहरी सुधार हेतु जारी किया गया है एवं द्वितीय संविदा कार्य Sewerage Water Tanks (SWTs) की विशेष मरम्मत एवं इससे जुड़ी पाईप लाइन नेटवर्क की मरम्मत से सम्बन्धित है। कार्य की प्रकृति एवं अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अवलोकन पश्चात् यह पाया जाता है कि प्रथम संविदा कार्य उक्त अधिसूचना की मुक्ति शुल्क की सारणी में कहीं भी विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है एवं न ही इसमें उल्लिखित कार्यों का सहायक कार्य (ancillary or incidental works) हैं, अतः यह मद संख्या 4 से आच्छादित होने के कारण इस पर मुक्ति शुल्क का दायित्व 3 प्रतिशत होगा। इसी प्रकार, द्वितीय

संविदा कार्य, जो कि Sewerage Water Tanks (SWTs) एवं इससे जुड़ी हुई पाइप लाइन की विशेष मरम्मत से सम्बन्धित है, वह भी सारणी के आइटम संख्या 3 से आच्छादित नहीं होने से इस पर मुक्ति शुल्क दर आइटम संख्या 4 के अनुसार 3% आकर्षित होती है।

10. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश विधिसम्मत पाये जाने से इसकी पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

20.12.2017

(ओमकार सिंह आशिया)

सदस्य